

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 442/2025

दुंगीया बनाम सरकार

आदेश

प्रार्थिनी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं हल्का पटवारी तिलवाड़ा व भूअ.नि. तिलवाड़ा की रिपोर्ट मय अनुशंसा के अनुसार ग्राम जोगेशवर महादेव तहसील पचपदरा की खाता संख्या 71 खसरा संख्या 817/248 मे प्रार्थिनी का नाम तगीयोदेवी पत्नि रामाराम सहखातेदारी में दर्ज है, जो कि रेकर्ड मे अशुद्ध नाम दर्ज हो रखा है, जबकि प्रार्थिनी का वास्तविक नाम दुंगीयोदेवी है, जो शुद्ध करवाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थिनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थिनी का आवेदन व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे पाया कि प्रार्थिनी का वर्तमान रेकर्ड मे तगीयोदेवी पत्नि रामाराम नाम दर्ज है, इसके स्थान पर प्रार्थिनी दुंगीयोदेवी नाम दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा है, जो कि स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थिनी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया, जिससे साबित होता कि प्रार्थिनी नाम दुरुस्ती करवाने की हकदार हो। इसके अलावा पूर्व रेकर्ड मे प्रार्थिनी का नाम अशुद्ध नाम दर्ज होने का क्या आधार रहा, इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इसके साथ भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी ओर से नाम दुरुस्ती करने बाबत टिप्पणी नहीं की गई है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत प्रार्थिनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थिनी का आवेदन खारिज किया जाता है। प्रार्थिनी पृथक से वाद पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(अशाक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर बालोतरा

